Azim Premji Philanthropic Initiatives

phia to end poverty

झारखण्ड ग्राम स्वशासन अभियान हेतू

ग्राम सभा स्थायी समिति मार्गदर्शिका

संवाद SAMVAD

AROUSE

ASRA

LOK JAGRITI KENDRA

मार्गदर्शिका लेखन
फिया टीम

प्रकाशक : फिया फाउंडेशन
प्रकाशन वर्ष : 2018

सहयोग : अज़ीम प्रेमजी फिलान्थ्रोपिक इनिशिएटिव प्राईवेट लिमिटेड

मुद्रक : नियोन इंटरप्राइजेज

परिचय

यह मार्गदर्शिका फिया फाउंडेशन एवं सहयोगी संस्थानों के सुनियोजित एवं साझा प्रयास का परिणाम हैं। यह मार्गदर्शिका ग्राम स्वशासन अभियान से जुड़े परियोजना दल के कार्य को सहज एवं सरल बनाने के लिए तैयार की गई हैं।

फिया फाउंडेशन एक चैरिटेबल ट्रस्ट हैं जो सामाजिक बहिष्कार और गरीबी उन्मूलन के मुद्दों पर काम करती है। फिया फाउंडेशन नियंत्रित रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के निवासी ग्रामीणों, जनजातियों एवं आदिम जनजातियों के विकास के लिए कई परियोजनाओं एवं कार्यक्रमों का संचालन कर रही है।

फिया फाउंडेशन ने एपीपीआई (अजीम प्रेमजी फिलैन्थ्रोपिक इनिशिएटिव) के साथ इस कार्यक्रम पर साझेदारी की है, जो स्थानीय लोकतंत्र को स्वशासन की संस्था बनाने और उन्हें मजबूत करने पर केंद्रित हैं। इसे झारखंड के जामताड़ा, गुमला और पश्चिम सिंहभूम जिलों के 3 ब्लॉक के 40 पंचायत के 358 गाँवों में 5वें अनुसूचित क्षेत्र में कार्यान्वित किया जाएगा।

एपीपीआई (अजीम प्रेमजी फिलैन्थ्रोपिक इनिशिएटिव) इस कार्यक्रम को झारखंड के अलावा उड़ीसा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात एवं राजस्थान में क्रियान्वित कर रही हैं।

ग्राम स्वशासन अभियान स्थानीय प्रशासन प्रणाली और स्थानीय संसाधनों के प्रबंधन में ग्राम सभा के लिए एक बड़ी भूमिका के रूप में एक अवसर प्रदान करेगी।

हमें पूर्ण विश्वास है की यह मार्गदर्शिका परियोजना को संगठित रूप देने में परियोजना दल के लिए मददगार होगी ।

विषय सूची

क्र.स.	विषय वस्तु	पृष्ठ संख्या
1	परिचय	
2	ग्राम सभा की स्थायी समिति	1
3	ग्राम सभा स्थायी समिति के सदस्य	2
4	ग्राम सभा स्थायी समिति का गठन, बैठक, बैठक का कोरम	3
5	ग्राम सभा स्थायी समिति का कार्य	4–5
6	स्थायी समिति कार्यवाही अभिलेख	6

ग्राम सभा की स्थायी समिति

झारखण्ड पंचायत राज अधिनियम 2001 के अनुसार ग्राम सभा अपने सभी दायित्वों तथा कर्तव्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए 8 स्थायी समिति का गठन कर सकेगी।

ग्राम सभा स्थायी समिति के सदस्य

- ग्राम सभा की प्रत्येक स्थायी समिति में 4 सदस्य होंगे, 2 महिला और 2 पुरुष।
- इन चार सदस्यों में से एक को अध्यक्ष के रूप में चुना जाएगा।
- ग्राम सभा के प्रत्येक स्थायी समिति का एक सचिव होगा, जो ग्राम सभा की अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति द्वारा चुना जाएगा।
- स्थायी सदस्यों का कार्यकाल चयन होने की तारीख से एक वर्ष के लिए होगा।
- स्थायी समिति की सदस्यता के लिए कोई आरक्षण नहीं होगा।

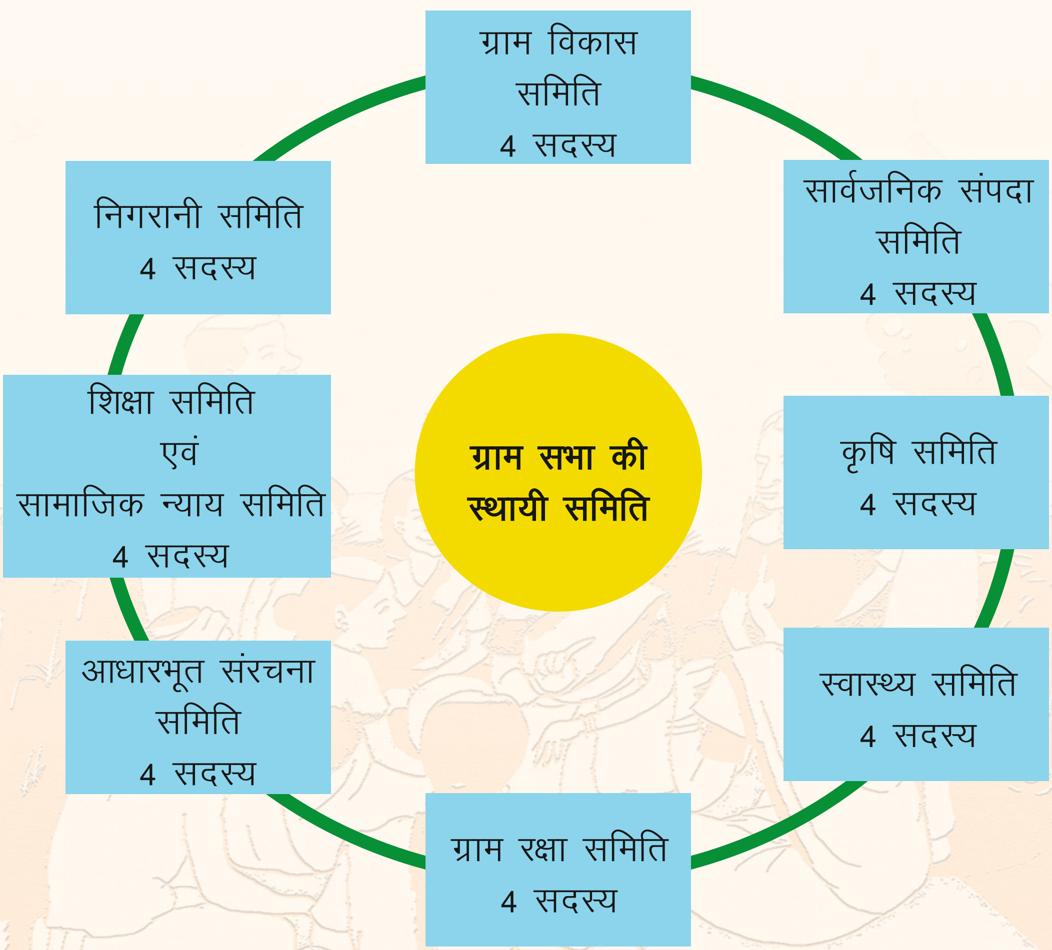

कुल = 32 सदस्य

ग्राम सभा स्थायी समिति का गठन

- स्थायी समिति के सदस्यों के चयन के लिए ग्राम सभा की विशेष बैठक बुलाई जाएगी। बैठक में आये सदस्यों द्वारा अपने बीच में से बहुमत से सदस्यों का चुनाव किया जाएगा।
- कोई भी सदस्य एक समय में एक से अधिक समितियों का सदस्य नहीं हो सकेगा।

ग्राम सभा स्थायी समिति की बैठक

- साधारण कामकाज के संचालन के लिए प्रत्येक स्थायी समिति की बैठक माह में कम से कम एक बार होगी।
- बैठक का स्थान,समय एवं तारीख समिति की अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति द्वारा तय किया जाएगा।
- बैठक की सूचना बैठक से 3 दिन पहले समिति के सभी सदस्यों को दी जाएगी जिसमें बैठक का स्थान, तारीख, समय एवं बैठक में होने वाले कार्यों का विवरण होगा।
- स्थायी समितियों की बैठक की कार्यवाही, बैठक पुस्तिका में दर्ज की जाएगी।

ग्राम सभा स्थायी समिति की बैठक का कोरम

- बैठक का कोरम गठित स्थायी समिति के आधे सदस्यों से होगी।
- कोरम के अभाव में रद्द बैठक सभापति द्वारा तय किये गये तिथि पर होगी, जिसके लिए कोरम की आवश्यकता नहीं है।

ग्राम सभा स्थायी समिति का कार्य

1- ग्राम विकास समिति

- ग्राम के सम्पूर्ण विकास के लिए योजना तैयार करना तथा इसे ग्राम सभा में अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करना।
- गरीबी उन्मूलन तथा अन्य कार्यक्रमों के अधीन लाभुकों का चयन एवं पहचान करना।

2- सार्वजनिक संपदा समिति

- भूमि, जल, वन जैसे प्राकृतिक स्रोतों, जो ग्राम के परिसीमा में आते हैं, का उचित प्रबंध करना।
- नहाने, धोने और पालतू पशुओं को पीने के लिए जल स्रोत उपलब्ध कराना।
- उपयोग में न आने वाले कुओं, अस्वच्छ तालाबों, खाइयों तथा गड्ढ़ों को भरने का कार्य कराना।

3- कृषि समिति

- कृषि, सिंचाई, मत्स्य पालन, बागवानी एवं बंजर भूमि के विकास के लिए योजना बनाना।

4- स्वास्थ्य समिति

- ग्राम में स्वच्छता तथा सफाई का उचित प्रबंध तथा निवारण।
- संक्रामक रोगों की रोकथाम, टीकाकरण आदि कार्यों में सहायता करना।

5- ग्राम रक्षा समिति

- दहेज, घरेलु हिंसा जैसे सामाजिक बुराइयों से सुरक्षा प्रदान करना।
- जनसामान्य के बीच सामान्य चेतना, एकता एवं सौहार्द में अभिवृद्धि करना।
- ग्राम सभा की संपत्ति की देखरेख करना।

6- आधारभूत संरचना समिति

- कुओं और तालाबों का निर्माण, मरम्मत तथा घरेलु उपयोग के लिए पेयजल उपलब्ध कराना।
- वृक्षारोपण एवं ग्राम वनों का संरक्षण।
- ग्रामीण सड़कों, पुलियों, बांधों तथा सार्वजनिक उपयोगिता भवनों का निर्माण एवं संरक्षण।

7- शिक्षा समिति एवं सामाजिक न्याय समिति

- प्राथमिक, माध्यमिक, जन शिक्षा सहित सांस्कृतिक कार्यकलाप सम्बन्धी कार्य देखेगी।
- अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य कमजोर वर्गो की शैक्षिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा अन्य हितों का प्रोत्साहन करेगी।
- महिलाओं, बच्चों तथा अन्य कमजोर वर्गों को सामाजिक अन्याय तथा अन्य शोषण से सुरक्षा प्रदान करेगी।

8- निगरानी समिति

- ग्राम के योजनाओं, कार्यक्रम और परियोजना के लिए निधियों का समुचित उपयोग सुनिश्चित कराना एवं निगरानी रखना।
- सार्वजनिक भूमि का प्रबंध और ग्राम स्थल का प्रबंध, विस्तार और विकास करना।

स्थायी समिति कार्यवाही अभिलेख

स्थायी समिति के कार्यवाही अभिलेख

1. ग्राम पंचायत का नाम – ....
2. ग्राम सभा का नाम – ....
3. स्थायी समिति का नाम – ....
4. बैठक की तारीख – ....
5. बैठक का स्थान – ....
6. बैठक का समय – ....

क्र. स.	बैठक में रखे गए विषय	पूर्व बैठक के लंबित विषय	बैठक की कार्यवाही–निर्णय

स्थायी समिति उपस्थित सदस्यों का नाम एवं हस्ताक्षर :

....	....	....	....
अध्यक्ष	सचिव	सदस्य	सदस्य

ग्राम स्वशासन अभियान

साझा प्रयास, सशक्त प्रयास, सही ग्राम विकास

आओ शपथ लें...

* ग्राम सभा में उपस्थित होंगे।
* ग्राम सभा में अपनी समस्याएं और मुद्दे रखेंगे और चर्चा करेंगें।
* ग्राम सभा में सवाल पूछेंगे।
* ग्राम सभा में फैसलों में भागीदारी करेंगें।
* ग्राम सभा में लिखे गए निर्णयों को पढ़वाकर सुनेंगे।
* ग्राम सभा में हस्ताक्षर करेंगें।
* गाँव की शिशु, किशोरी और गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य, स्वच्छता का ध्यान रखेंगें।
* गाँव की सार्वजनिक सेवाओं जैसे आंगनबाड़ी, राशन दुकान, स्कूल, उप स्वास्थय केन्द्र आदि को समीक्षा एवं निगरानी करेंगें और उनमें आने वाली समस्याओं को हल करने के लिए चर्चा करेंगें।
* वन ग्रामों, पुरानी बस्तियों, असर्वेक्षित ग्रामों को राजस्व ग्रामों में परिवर्तित करने की ओर कदम बढ़ायेंगें।
* परंपरागत रूप से जंगल से प्राप्त होने वाले संसाधनों जैसे जड़ी-बूटी, जानवर, फल फूल, पेड़, मिट्टी, पानी आदि का उपयोग एवं सुरक्षा करेंगें।
* जल संरक्षण व प्राकृतिक संसाधनों का विकास करके आजीविका सुरक्षा की ओर कदम बढ़ायेंगें।
* ग्रामीण सहभागिता से गांव के विकास के लिए वार्षिक कार्य योजना बनायेंगे।
* प्राथिमीकीकरण करके गाँव के वंचित परिवारों की विकास की ओर कदम बढ़ायेंगें।
* योजना क्रियान्वयन किए जाने पर निगरानी करेंगें ।
* गाँव में शिक्षा, रोजगार, शुद्ध पेयजल, स्वच्छता और सामाजिक रूढ़ियों की विकास की ओर कदम बढ़ायेंगें।

जन, जल, जंगल और जमीन हो ग्राम सभा के अधीन।

अधिक जानकारी के लिए सम्पर्क करें :

फिया फाउंडेशन

अरण्य विहार, गली न० – 01,

नियर लाल गुटूवा

अपोजिट कंचन पेट्रोल पंप

दलादली रिंग रोड

राँची, झारखण्ड – 835303